न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2016 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. भगवती शंकर पिता श्री विश्वनाथ जोशी, जाति ब्राहमण, निवासी राती तलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. देवकी नन्दन पिता श्री विश्वनाथ जोशी, जाति ब्राहमण, निवासी राती तलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मुकेश कुमार पिता गेबीलाल जी गुर्जर, निवासी माही सरोवर नगर, हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता गेबीलाल जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. किशनलाल पिता चुन्नीलाल जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. तकुलाल पिता चुन्नीलाल जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मनोज पिता चुन्नीलाल जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती कंकु पत्नी चुन्नीलाल जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. मनीष पिता लाला जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमती रचना पत्नी किशन जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. श्रीमती पारी पत्नी तकुलाल जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. श्रीमती शीतल पत्नी मनोज जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. श्रीमती धापू पत्नी स्वर्गीय गणेश जी गुर्जर, निवासी घंटाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा
दिनांक 25.10.2016, प्र०सं० 14/2015

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री भालचन्द नागर अभिभाषक रे.सं. 1 से 9

---::---

निर्णय दिनांक

13–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी नंबर 422, 510, 511, 512/2, 513/2 व 807 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम निचला घंटाला में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण अपने बाप–दादाओं के समय से कमाते आ रहे हैं तथा लगान अदा कर रहे हैं। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं है, फिर भी वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का 100 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा ह, जिसे सारा गांव जानता है। अतः प्रार्थीगण विपक्षीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त काउण्टर प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया तथा बताया कि विपक्षीगण का लगातार कोई कब्जा नहीं रहा तथा इनके द्वारा पूर्व प्रस्तुत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद संख्या 35/15 प्रस्तुत किया था जो खारिज किया जा चुका है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 25–10–2016 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दोनों पक्षों को रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–11–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से वकील श्री भालचन्द नागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट खातेदार कृषक के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में भूल की है। अपीलान्टगण विवादित भूमि के खातेदार हैं, फिर भी मात्र कल्पना के आधार पर रेस्पोन्डेन्टगण का कब्जा मानकर भारी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का विवादित भूमि का खातेदार होना माना ह,

किन्तु प्रकरण में कब्जे संबंधी विवाद होने के कारण प्रकरण में पक्षकारों के मध्य और अधिक विवाद को रोकने के दृष्टिगण मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को पाबन्द किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से की खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25—10—2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13—05—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर